'पुलिस तकनीक के साथ करेगी अपराध पर प्रहार, अपराधियों का बचना नामुमकिन'

जेईसीसी में 8 दिवसीय नव विधान प्रदर्शनी का हुआ भव्य समापन

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित नव विधान–न्याय की पहचान प्रदर्शनी का मंगलवार की शाम भव्य समारोह के साथ सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस 8 दिवसीय प्रदर्शनी में नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों को आधुनिक पुलिस नवाचारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। प्रदर्शनी की कुल डिजिटल और भौतिक पहुँच 1.8 करोड़ से अधिक रही, जो इसकी ऐतिहासिक सफलता को दर्शाती है।

समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मुख्य अतिथि रहे और उनके साथ विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत तथा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव संजय अग्रवाल, मालिनी अग्रवाल, निदेशक आरपीए एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एस. सेंगाथिर अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सीतापुरा स्थित जेईसीसी में ''नव विधान–न्याय की पहचान'' प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

न्याय में सुलभता और अपराध पर कठोर प्रहार

मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि नए कानूनों से न्याय मिलने में सुलभता और समयबद्धता आई है, जिससे अपराधों के ग्राफ में भारी कमी आई है। उन्होंने जोर दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पदभार ग्रहण करने के बाद यही प्राथमिकता थी कि राजस्थान अपराध मुक्त बने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो।

बेढम ने राजस्थान पुलिस की पूरी टीम को बधाई दी कि उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड कर अपराध के खिलाफ प्रभावी प्रहार किया है।बेढम ने कहा नए कानून में तकनीकी साक्ष्य पर बल है, जिससे गवाहों के मुकरने की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल तरीके से साक्ष्य उपलब्ध होने पर अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी अपराधी अब बच नहीं पाएगा।

टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और मॉनिटरिंग पर जोर

विशिष्ट अतिथि भास्कर ए. सावंत ने कहा कि एक चुस्त-दुरुस्त आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर अपग्रेड आवश्यक हैं, जिसमें यूआईटी की अहम भूमिका है। उन्होंने पुलिस को आपराधिक न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा स्तंभ बताया और आश्वस्त किया कि तंत्र को मजबूत करने के लिए आने वाले प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सावंत ने मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए राज्य और जिला स्तर पर सिंपल डैशबोर्ड होना चाहिए ताकि तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने प्रदर्शनी को शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन बताया, जो औपनिवेशिक कानून को बदलकर देश को अपने लोगों द्वारा बनाए गए कानून दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी इस बदलाव के पीछे की सोच को दर्शाती है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की सराहना की कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़कर नए कानून की बारीकियों को समझा। उन्होंने जोर दिया कि यह समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जिसमें पुलिस पारदर्शिता और तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को त्वरित और बेहतर न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी। शर्मा ने राजस्थान पुलिस सेवार्थ कटिबद्धता का संकल्प दोहराया। आरंभ में आरपीए निदेशक एडीजीपी एस सेंगाथिर ने स्वागत उद्बोधन देते हुए प्रदर्शनी की विषयवस्तु और उपलब्धियों के बारे में बताया।

रिकॉर्ड 2 लाख सहभागिता रही

जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित नव विधान –न्याय की पहचान प्रदर्शनी देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों की समझ को आधुनिक पुलिस नवाचारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक सफल मंच बनी।

जिसमें भौतिक और ऑनलाइन माध्यम से 1.67 करोड़ से अधिक लोगों की रिकॉर्ड-तोड़ भागीदारी दर्ज की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस. सेंगाथिर ने प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जेईसीसी में किया गया था।उद्घाटन समारोह में भौतिक रूप से 15 हजार और ऑनलाइन माध्यम से 1.25 लाख लोगों ने भाग लिया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस. सेंगाथिर ने आठ दिनों तक चली मुख्य प्रदर्शनी (14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर) में करीब 58 हजार लोगों ने भौतिक रूप से अवलोकन किया। इसमें 14,000 शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, 13,200 व्यावसायिक–सोशयल समूह एवं सरकारी कर्मचारी, 2,700 सीएलजी–सुरक्षा सखी सदस्य और 11800 पुलिसकर्मी शामिल थे। प्रदर्शनी की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 22 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 140 एपीपी/वकीलों और 170 डॉक्टरों सहित 550 विशेष अतिथियों ने भी इसे देखा।

सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त धूम

प्रदर्शनी की पहुँच केवल भौतिक परिसर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसने धूम मचाई।

विभिन्न हैंडल्स से कुल 200 पोस्ट किए गए, जिन्होंने 16.7 मिलियन (1.67 करोड़) से अधिक व्यूज प्राप्त किए। इनमें इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन, फेसबुक पर 5.2 मिलियन, ट्विटर पर 2.8 मिलियन और यूट्यूब पर 1.7 मिलियन व्यूज शामिल हैं, जो इसकी व्यापक सफलता को दर्शाते हैं।

तकनीक और सिमुलेशन बने मुख्य आकर्षण

प्रदर्शनी का एक प्रमुख आकर्षण आधुनिक पुलिस तकनीक और सिमुलेटर रहे, जिन्होंने आगंतुकों को पुलिस प्रशिक्षण का सीधा अनुभव दिया।

पुलिसकर्मी और आमजन दोनों ही इन उपकरणों के उपयोग को लेकर काफी उत्साहित थे। फायरिंग सिमुलेटर पर लगभग 16 हजार लोगों ने अभ्यास किया, जबकि वाहन सिमुलेटर का अनुभव लगभग 8 हजार लोगों ने लिया। इसके अलावा पुलिस कार्यप्रणाली से संबंधित क्विज प्रतियोगिताओं में 18 हजार लोगों ने भाग लिया।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों की मदद से बैठाया था डमी कैंडिडेट

उदयपुर पुलिस ने कराया सोडाला थाने में आरोपित डमी कैंडिडेट के खिलाफ मामला दर्ज

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एआई टेक्नीक से पकड़े गए डमी कैंडिडेट से उदयपुर पुलिस की पूछताछ में अपने भाइयों की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में बैठकर वह तीन भर्ती परीक्षा देना सामने आया है। उसने परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठने के लिए फर्जी दस्तावेज का प्रयोग किया था। इस संबंध में उदयपुर पुलिस की ओर से जयपुर के सोडाला थाने में आरोपित डमी कैंडिडेट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।

थानाधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि उदयपुर के (नगर पूर्व) के सीओ छगन पुरोहित ने मामला दर्ज करवाया है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा 13 सितम्बर को आयोजित हुई थी। उदयपुर के एग्जाम सेंटर पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने पवन कुमार शर्मा (25) निवासी राजाखेड़ा जिला धौलपुर पहुंचा था। बायोमेट्रिक इंप्रेशन करने पर पवन कुमार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मूल कैंडिडेट था।

एआई टेक्निकल के जरिए पवन कुमार के पूर्व में दी गई भर्ती परीक्षा किसी ओर नाम से देना सामने आया। उदयपुर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने डमी कैंडिडेट के रूप में पहले भर्ती परीक्षा देने का पता चलने पर पकड़ा था।

उदयपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपित पवन कुमार ने कई अहम खुलासे किए। पूछताछ सामने आया कि साल-2022 में जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से बीएड की पीटीईटी की परीक्षा आयोजित हुई थी। भर्ती परीक्षा में उसने छोटे भाई अखिलेश शर्मा की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में धौलपुर के महाराणा सरकारी स्कूल में परीक्षा दी थी। साल-2022 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था।

उस भर्ती परीक्षा में भी छोटे भाई अखिलेश शर्मा के नाम से डमी कैंडिडेट के रूप में जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित एग्जाम सेंटर पर परीक्षा दी। जून-2025 को महावीर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने बीएसटीसी लिखित परीक्षा-2025 का आयोजन किया था। भर्ती परीक्षा में आरोपित पवन कुमार ने अपने ताऊ के लड़के जितेंद्र कुमार शर्मा की जगह डमी अभ्यर्थी बैठकर 22-गोदाम हवा सड़क स्थित यश विद्या मंदिर सीनियर सेकेंड स्कूल में एग्जाम दिया। तीनों भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठने के लिए, सही दस्तावेज में हेरफेर किया था।

पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने ऑडी कार से मारी स्विफ्ट कार को टक्कर

हादसे में घायल हुए युवक-युवती, विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप

जयपुर। प्रताप नगर थाना इलाके में एनआरआई सर्किल पर एक स्विफ्ट कार को तेज रफ्तार ऑडी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में स्विफ्ट सवार युवक सहित दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद जब दोनों ने ऑडी कार को रुकवाकर बात करनी चाही तो चालक ने उनके साथ मारपीट कर दी। ऑडी कार ने दो अन्य कारों को भी ठोक दिया था। हरियाणा नंबर की ऑडी कार राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे राजकुमार शर्मा का नाबालिग बेटा चला रहा था। जो जगतपुरा में निजी स्कूल का छात्र है और उसकी कार में उसके साथ दो सहपाठी भी बैठे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑडी कार के एयर बैग भी खुल गए।

पुलिस के अनुसार पीड़ित पुलकित पारीक निवासी इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान ने बताया कि अपनी दोस्त सुरभि निवासी रामगंगरिया के भाई बीमार होने के कारण उन के इलाज के लिए ब्लड लेकर एनआरआई सर्किल से ठाकुरिया हॉस्पिटल जा रहे थे। दोपहर करीब 2.11 बजे उनकी स्विफ्ट कार को एनआरआई सर्किल पर एक ऑडी कार ने तेज गति से आते हुए उनकी कार को पीछे से टक्कर मारी। जिसके कारण उन्हें और सुरभि को गंभीर चोटें आई। पारीक ने बताया कि टक्कर के बाद उन्होंने और सुरभि ने ऑडी कार के चालक को रोका। इस पर चालक ने उससे और सुरभि से मारपीट शुरू कर दी। ऑडी कार के चालक को मौके पर भीड़ ने पकड़ लिया। जब चालक से उसका नाम-पता पूछा तो उसने खुद को पूर्व एमएलए, राजकुमार शर्मा का बेटा बताया। उसने धमकाते हुए कहा कि मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते और रही तुम्हारी गाड़ी की बात तो वह हम ठीक करवा देंगे।

> ■ पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 5 घंटे तक दर्ज नहीं की एफ.आई.आर, पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ मामला

पीड़ित पुलकित पारीक ने रिपोर्ट में बताया कि ऑडी कार चलाने वाला युवक खुद को युवराज शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा बता रहा था। उसकी उम्र करीब 15-16 साल बताई जा रही है। पुलकित के अनुसार युवराज ने उन्हें धमकी दी कि मैं एमएलए का बेटा हूं, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घायल पुलकित ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, और उन्हें प्राइवेट वाहन से इलाज के लिए जाना पड़ा। उनका आरोप है कि पुलिस ने मौके से आरोपी को छोड़ दिया और 5 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को शिकायत दी। उनके हस्तक्षेप के बाद ही थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल

जयपुर। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर आंगनबाड़ी, मिड-डे मील, आशा सहयोगिनी, एनबीसी, परिवहन एवं बिजली कर्मचारियों के मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एनबीसी, आशा सहयोगिनी, आशा कर्मचारी, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, विद्युत् ठेका मजदूर, सर्व शिक्षा लोक जुम्बिश व विशेष शिक्षा एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि वर्तमान में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है।

हाईकोर्ट ने छह करोड की जी.एस.टी. चोरी के आरोपी को दी जमानत

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने छह करोड रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी प्रेम कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश हैं। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ पेश आरोप पत्र की सुनवाई में समय लगने की संभावना है। वहीं मामले में अभियोजन साक्ष्य हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति है और उनके साथ छेड़छाड़ का अंदेशा नहीं है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पहले से कोई भी आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

> ■ अदालत ने कहा कि ''इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ का अंदेशा नहीं है।''

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की कंपनी मैसर्स केशव सीमेंट एजेंसी ने 28 फीसदी जीएसटी अदा कर सीमेंट कंपनी से सीमेंट खरीदी थी। उस पर आरोप है कि उसने बिना माल भेजे केवल इनवॉइस के आधार पर छह करोड रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की है। याचिका में कहा गया कि मामले में जिन दो कंपनियों को बिल जारी किए गए, उसके आधार पर दोनों कंपनियों ने टैक्स अदा कर दिया। वहीं यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला बनता है तो वह पांच करोड रुपए से अधिक का नहीं हो सकता और पांच करोड रुपए तक का आरोप जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद भी विभाग ने संपूर्ण बिलों की राशि को जीएसटी की राशि जोड़कर छह करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का बनाकर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए जीएसटी विभाग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने बिना माल भेजे फर्जी इनवॉइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करके गैर कानूनी लाभ उठाया है। वहीं उसकी फर्म को करीब साढे छह करोड रुपए की टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर हुई है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

चाकू गोदकर युवक की हत्या करने वाले दो बदमाश गिरफ़्तार

जयपुर। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच दिन पहले युवक की हत्या के मामले में फरार दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जो बारात का पीछा करते हुए शादी समारोह में घुसे थे और फिर सरिए से जानलेवा हमले के दौरान चाकू से गोदकर अल्ताफ नाम के युवक की हत्या कर भागे थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ ही फरार साथियों की तलाश कर रही है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर को जानलेवा हमले के दौरान चाकू से गोदकर अल्ताफ नाम के युवक की हत्या के मामले में आरोपित मोहम्मद अमन (25) निवासी फकीरों की डूंगरी ब्रह्मपुरी हाल सडवा जयसिंहपुरा खोर और जफर (30) निवासी रहमत कॉलोनी सडवा जयसिंहपुरा खोर को गिरफ्तार किया है।

शर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर की रात को अल्ताफ (26) पुत्र शहजाद निवासी फकीरों की डूंगरी ब्रह्मपुरी की चाकू से गोदकर हत्या के बाद से दोनों आरोपी फरार थे।

चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने पद रिक्त रखने का आदेश देते हुए तकनीकी शिक्षा सचिव और उद्यमिता विभाग से जवाब मांगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में चयन के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने पर तकनीकी शिक्षा सचिव और उद्यमिता विभाग से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु मिश्रा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

> ■ कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में चयन के बावजूद नियुक्ति से वंचित रखने का मामला

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि विभाग ने 11 मार्च, 24 को कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के साथ अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान से वैतनिक अनुभव जरूरी रखा गया। विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर भर्ती का परिणाम घोषित कर याचिकाकर्ता को परिणाम में पास कर दिया। वहीं बाद में उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया कि उनके पास वैतनिक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को अनुभव अवधि के दौरान नकद भुगतान होता था और इसका रिकॉर्ड वेतन ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज है। इसके अलावा भर्ती में वैतनिक अनुभव की शर्त लगाना भी गलत है, क्योंकि सेवा नियमों में सिर्फ अनुभव होना ही पर्याप्त माना गया है।

ऐसे में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित करना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने को कहा है।

देश के अमर शहीदों से प्रेरणा लेकर कर्तव्यनिष्ठा के साथ सेवा करें : डीजीपी राजीव शर्मा

राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस समारोह आयोजित

जयपुर। देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को मंगलवार 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्र सेवा में वीरगति प्राप्त करने वाले 191 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के बलिदान को याद किया। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति के बाद रक्तदान शिविर एवं पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। शर्मा ने इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ देश की सेवा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

डीजीपी ने अपने संबोधन में बताया कि 66 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 के दिन लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं अमर जवानों की शहादत को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के इन वीर जवानों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है, जो देशभर में पुलिस जवानों के समक्ष कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है।

डीजीपी शर्मा ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में राष्ट्र सेवा में वीरगति प्राप्त करने वाले 191 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के नाम वाचन किए तथा राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से उन्हें भावांजलि अर्पित की। उन्होंने राजस्थान के शहीद पुलिसकर्मी एएसआई सुरेंद्र कुमार, हैड कांस्टेबल प्रसादी लाल, प्रह्लाद राम, कांस्टेबल अतर सिंह, राम सिंह, देवनारायण गुर्जर और अक्षय कुमार सहित अन्य राज्यों के शहीदों व बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फायर सर्विसेज-होमगार्ड्स तथा आरपीएफ के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

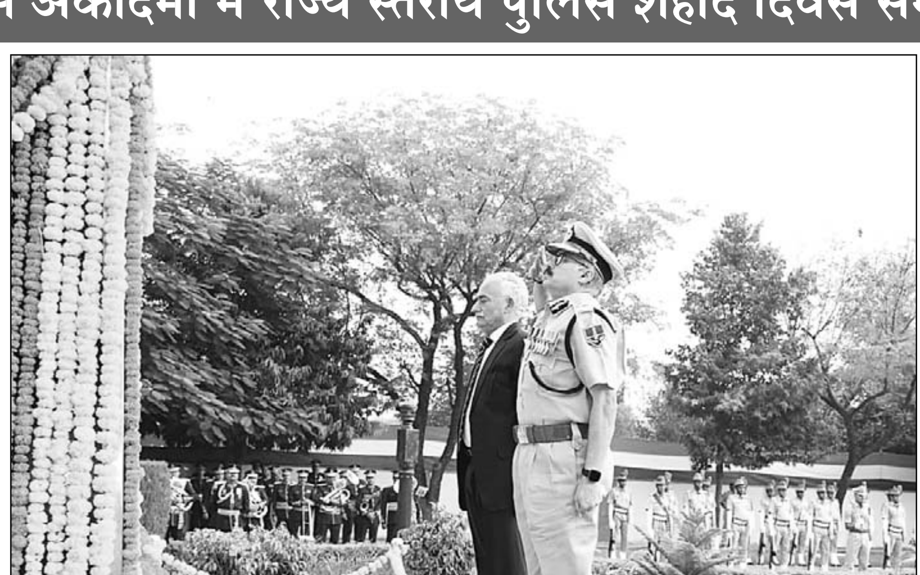

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने आर.पी.ए. में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

> ■ शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, रक्तदान एवं पौधारोपण कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित मुख्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई तथा गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। इस अवसर पर डीजीपी राजीव शर्मा और पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश गल्होत्रा, डीजीपी प्रशिक्षण अशोक राठौर, सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक संग्राम सिंह, आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर रमाकांत शर्मा, सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक संजय दुबे, एडीजी एवं आरपीए के निदेशक एस. सेंगाथिर, तथा जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस कर्मी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीजीपी राजीव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधे रोपकर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, प्रशिक्षु और स्टाफ सदस्यों ने भाग लेकर शहीद पुलिस कर्मियों को समर्पित रक्तदान किया।

आरपीए में कार्यक्रम के बाद जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित त्रिमूर्ति सर्किल के पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। यहाँ डीजीपी राजीव शर्मा और कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

गोविन्ददेव जी मंदिर में हुआ गोवर्धन पूजन

पंच दिवसीय प्रकाश पर्व के चौथे दिन बुधवार को आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में गोवर्धन पूजन हुआ। महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में मंदिर के पश्चिमी प्रांगण स्थित तुलसी मंच पर गोवर्धन पूजा एवं गौ–बछड़ा पूजन किया गया। आरती और भोग के बाद श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसादी वितरित की गई।